भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **1018**

(मंगलवार, **28** जुलाई, 2026/**6** श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लए)

केरल में सीएसआर नि धयां

1018 श्री संदोष कुमार पीः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) वगत पांच वर्षों के दौरान केरल में व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नि धयों की कुल रा श का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अव ध के दौरान सीएसआर व्यय की दृष्टि से राज्यों में केरल का क्या स्थान है;

(ग) स्वास्थ्य, शक्षा, आपदा राहत, पर्यावरणीय स्थिरता और आजी वका वकास सहित केरल में सीएसआर व्यय का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जनजातीय और तटीय क्षेत्रों सहित केरल के जिलों में सीएसआर नि धयों के न्यायसंगत वतरण का आकलन कया है; और

(ङ) क्या केरल में कार्यरत कंपनियों को राज्य के भीतर सीएसआर परियोजनाएं शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लए कोई तंत्र वद्यमान है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वा र्षक फाइ लंगों के आधार पर, भारत में राज्य-वार सीएसआर व्यय तथा केरल में वकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का वगत पाँच वत्तीय वर्षों अर्थात् 2020-21 से 2024-25 तक का ववरण क्रमशः अनुलग्नक-I एवं अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(घ) एवं (ङ): कंपनी अ धनियम, 2013 के तहत, सीएसआर एक बोर्ड-संचा लत प्र क्रया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर स मति की सफारिश के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने तथा उनकी निगरानी करने के लए अ धकृत है। चूँ क यह एक बोर्ड द्वारा संचा लत प्र क्रया है, इस लए सरकार कंपनियों को कसी व शष्ट क्षेत्र/कार्यकलाप में व्यय करने के लए कोई व शष्ट निर्देश जारी नहीं करती है।

अनुलग्नक- I

दिनांक 28.07.2026 के लए राज्य सभा अतारां कत प्रश्न संख्या 1018 के भाग (क) से (ग) से संद र्भत

वत्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

रा श (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार	वत्तीय वर्ष 2020-21	वत्तीय वर्ष 2021-22	वत्तीय वर्ष 2022-23	वत्तीय वर्ष 2023-24	वत्तीय वर्ष 2024-25
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	2.86	9.71	2.53	3.03	15.13
2	आंध्र प्रदेश	719.81	663.50	987.33	1,175.88	1,383.52
3	अरुणाचल प्रदेश	10.58	119.42	13.36	39.82	40.06
4	असम	180.23	406.42	475.11	495.60	607.04
5	बिहार	89.89	178.97	247.93	261.62	456.12
6	चंडीगढ़	13.40	51.19	18.51	114.39	146.19
7	छत्तीसगढ	325.63	317.70	610.16	435.62	551.88
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	27.23	18.27	23.22	30.28	35.92
9	दिल्ली	724.59	1,198.50	1,518.29	2,004.31	2,752.75
10	गोवा	41.92	45.43	60.91	86.43	106.01
11	गुजरात	1,461.60	1,613.18	2,066.67	2,780.14	4,549.10
12	हरियाणा	550.86	687.13	780.35	850.01	1,385.61
13	हिमाचल प्रदेश	106.31	140.27	141.40	158.25	225.34
14	जम्मू और कश्मीर	35.56	50.68	72.19	104.11	224.29
15	झारखंड	226.54	243.95	400.92	417.40	842.38
16	कर्नाटक	1,277.81	1,849.82	2,061.40	2,328.53	3,395.43
17	केरल	290.67	241.58	363.34	399.47	616.57
18	लद्दाख	-	14.84	11.72	30.48	25.58
19	लक्षद्वीप	0.01	0.97	0.02	0.36	0.57
20	मध्य प्रदेश	375.51	427.48	669.11	612.99	1,195.34
21	महाराष्ट्र	3,464.81	5,407.40	5,723.29	6,283.97	8,630.80
22	म णपुर	10.39	15.62	53.69	84.47	33.73
23	मेघालय	17.63	19.63	23.04	34.66	62.07
24	मजोरम	0.97	6.94	11.01	4.48	14.97
25	नगालैंड	3.57	12.46	13.57	15.41	26.79
26	ओ डशा	578.16	752.37	998.07	1,404.24	1,574.98
27	पुदुचेरी	12.43	9.31	14.62	34.53	27.96
28	पंजाब	158.46	185.41	263.55	368.15	578.49
29	राजस्थान	670.00	713.85	1,123.16	1,176.73	1,620.16
30	सक्किम	17.28	28.24	36.18	41.87	54.55
31	त मलनाडु	1,174.07	1,441.03	1,641.23	2,055.31	2,738.49
32	तेलंगाना	627.71	688.58	1,042.02	1,103.33	1,445.78
33	त्रिपुरा	9.29	15.91	19.26	9.45	15.89
34	उत्तर प्रदेश	907.32	1,345.02	1,213.76	1,590.66	2,212.68
35	उत्तराखंड	160.58	228.09	307.76	366.02	519.98
36	पश्चिम बंगाल	471.48	571.89	783.45	877.09	1,075.33
37	अ खल भारतीय*	7,805.03	5,789.58	6,233.04	7,066.44	662.74
38	अन्य केंद्रीकृत नि धयाँ	3,491.30	1,631.01	1,148.00	1,071.38	943.48
39	एनईसी/उल्लेख नहीं कया गया*	169.47	0.09	10.12	1.06	0.29
	कुल	26,210.95	27,141.45	31,183.28	35,917.98	40,794.00

(31 मार्च, 2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

*कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम नहीं बताए या एक से ज़्यादा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम बताए जहां परियोजना की गई थी।

अनुलग्नक- II

दिनांक 28.07.2026 के राज्य सभा के अतारां कत प्रश्न संख्या 1018 के भाग (क) से (ग) से संद र्भत

वत्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लए वकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

रा श (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वकास क्षेत्र	वत्तीय वर्ष 2020-21	वत्तीय वर्ष 2021-22	वत्तीय वर्ष 2022-23	वत्तीय वर्ष 2023-24	वत्तीय वर्ष 2024-25
1	कृ ष वानिकी	-	0.38	0.85	0.81	12.13
2	पशु कल्याण	0.33	0.42	1.22	2.22	0.91
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं/ आ श्रत	0.56	0.23	0.14	0.10	0.05
4	कला और संस्कृति	1.24	1.49	3.12	3.14	4.85
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	0.71	0.50	0.04	0.08	2.05
6	शक्षा	52.36	51.00	139.73	141.79	183.62
7	पर्यावरणीय स्थिरता	12.28	28.52	11.93	20.14	50.48
8	लैं गक समानता	0.31	1.59	1.49	4.54	4.69
9	स्वास्थ्य देखभाल	110.91	77.61	106.80	109.30	215.23
10	आजी वका संवर्धन परियोजनाएँ	25.51	4.37	7.22	8.44	19.64
11	गरीबी, भूखमरी, कुपोषण उन्मूलन	23.01	14.12	18.06	22.09	20.15
12	ग्रामीण वकास परियोजनाएँ	38.90	15.12	22.62	33.26	36.77
13	सुर क्षत पेयजल	0.54	0.39	1.73	1.49	1.06
14	स्वच्छता	2.07	2.16	1.44	4.90	1.16
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.34	2.69	7.04	5.96	10.59
16	महिलाओं के लए आवास और छात्रावास बनाना	5.12	2.40	2.79	4.21	5.26
17	अनाथालय की स्थापना	0.03	2.14	3.42	1.25	1.54
18	स्लम क्षेत्र वकास	1.39		0.17	0.05	6.93
19	सामाजिक-आ र्थक समानताएँ	1.64	6.83	7.80	8.16	6.68
20	वशेष शक्षा	0.60	2.60	2.13	4.29	6.96
21	प्रौद्यो गकी इनक्यूबेटर	0.35	-	0.10	-	-
22	खेलों को बढ़ावा देने के लए प्र शक्षण	9.04	4.95	8.13	7.44	9.35
23	व्यावसायिक कौशल	2.64	19.44	9.26	8.28	11.69
24	महिला सशक्तिकरण	0.75	2.64	6.10	5.69	4.79
25	एनईसी/उल्लेख नहीं कया गया	0.02	-	-	1.84	-
26	कुल	290.67	241.58	363.34	399.47	616.57

(31 मार्च, 2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]
